

प्रेस नोट थाना राजघाट दिनांक 10.10.2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय के द्वारा अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे हैं अभियान के तहत कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजघाट की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अमरुद बाग चकरा अक्वल से एक नफर अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र राम केवल निवासी तेंदुआ खुर्द थाना झगहा जनपद गोरखपुर हाल मुकाम ब्लॉक सी मकान नं0-07 कांशीराम योजना थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया जिनके के पास से लगभग 350 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 1.5 किलो ग्राम यूरिया व 03 किलो ग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने के उपकरण एक अदद टीन के ड्रम नलकी लगी हुयी व एक अदद भदेले एल्मुनियम के, दो अदद प्लास्टिक के डिब्बे भट्टी के पास से बरामदशुदा व भट्टी के आस-पास लगभग 50 क्विंटल लहन बरामदशुदा जिसे मौके पर कर्मचारीगण के माध्यम से नष्ट कराया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना राजघाट गोरखपुर पर मु0अ0सं0 258/2021 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

दिलीप कुमार पुत्र राम केवल निवासी तेंदुआ खुर्द थाना झगहा जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 10.10.2021 समय 06.30 AM बजे, गिरफ्तारी का स्थान – अमरुद बाग चकरा अक्वल

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-11/2012 धारा 302,201 भादवि0 थाना झगहा जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित पुलिस अधि0/कर्मचारी-

- 1-प्र0नि0 विनय कुमार सरोज थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 2-उ0नि0 अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 3-हे0का0 हरेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 4-का0 अंजनी कुमार राय थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 5-का0 अशोक यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 6- का0 देवेन्द्र कुमार यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।